भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 254

उत्तर देने की तारीख: 20.03.2017

29 फाल्गुन, 1938 (शक)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

***254. श्रीमती रीती पाठकः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक की शिक्षा का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ढांचागत योजना में उल्लेख किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अभियान में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को शामिल करने में विलंब के क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक अभियान में शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में छात्रावासों की स्थापना किए जाने का प्रावधन है और यदि हां, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्ड की पहचान किस प्रकार की जाती है;

(घ) क्या शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में योजना के अंतर्गत निर्धरित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो छात्रावासों का विस्तार किए जाने हेतु व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती रीती पाठक द्वारा दिनांक 20.03.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी जिसमें प्रत्येक आवासीय क्षेत्र की उचित दूरी (5 कि.मी.) में माध्यमिक स्कूल और उचित दूरी (7-10 कि.मी.) में उच्चतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर माध्यमिक स्कूलों के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाने की परिकल्पना की गई है। आरएमएसए कार्यढांचे में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, दोनों को कवर करने की परिकल्पना की गई है तथापि, जब वर्ष 2009-10 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, तब यह निर्णय लिया गया था कि इसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा, इसका पहला चरण 14-15 आयु वर्ग के युवाओं को अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस तथ्य को देखते हुए कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के बीच आवश्यक सेतु उपलब्ध करती है, वर्तमान आरएमएसए योजना के कार्यक्षेत्र का उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तक विस्तार प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। तथापि, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, एकीकृत आरएमएसए की अन्य योजनाओं अर्थात् स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बालिका छात्रावास, व्यवसायिक शिक्षा और माध्यमिक चरण में नि:शक्तों की समावेशी शिक्षा के तहत पहले ही कवर किए जा रहे हैं।

(ग) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कक्षा IX से XII के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए बालिका छात्रावास घटक और कक्षा VI से VIII के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय घटक के तहत बालिका छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान है। 2001 की जनगणना के अनुसार, 46.13 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कमतर ग्रामीण महिला साक्षरता दर वाले ब्लॉकों और 21.59 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से उच्चतर साक्षरता में महिला-पुरूष अंतर के समग्र मापदंड के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की पहचान की गई है।

(घ) और (ड.): आरएमएसए के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरण के लिए बालिका छात्रावास की क्षमता 100 छात्राओं की है और प्रारंभिक चरण के लिए केजीबीवी की क्षमता 50, 100 और 150 छात्राओं की है जो मॉडल पर निर्भर करती है। आज की तारीख तक, आरएमएसए के तहत 2483 बालिका छात्रावास अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से 1149 बालिका

छात्रावास 104277 छात्राओं के कुल नामांकन के साथ कार्यात्मक हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3.66 लाख छात्राओं के नामांकन के साथ 3600 केजीबीवी कार्यात्मक हैं।

*****